

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक 8 DEC 2013

— आदेश —

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता के आधार पर नियमानुसार किराये पर आवंटित चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवास के स्थान पर उनकी "एफ" स्वतंत्र की वरियतानुसार निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :—

क्र.सं	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री नंद किशोर कुमावत लैब टेक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय जीव रसायन इंसरजेंसी लैब, जयपुर	एफ-480, गांधीनगर (4/67 गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2038	283
2	श्री भगवती प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ लिपिक पंचायतीराज विभाग, जयपुर	एफ-165, गांधीनगर (4/96 गांधीनगर के स्थान पर)	31.12.2020	284
3	श्री चन्द्र राम जाटव, सहायक अनुभागाधिकारी (निजी सचिव) संसदीय सचिव (जाहिदा) शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर (4/74 गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2019	285
4	श्री दीप चंद रोनी नर्स ग्रेड-ग सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-198, गांधीनगर (4/138 गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2024	286
5	श्रीमती प्रिति शर्मा, कनिष्ठ विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	एफ-708, गांधीनगर (4/128, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2042	287

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- रवयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन रथान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की रिधि में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुराग में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिधि में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता थदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आदरण वित्त अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व जायधित आदेशाधी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सादरस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1)सा.प्र./2/13-पाट, दिनांक 3.9.2013 के द्वारा श्री राजेश अरोड़ा, वरिष्ठ विधि रचनाकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या एफ-198, गैंधीनगर का आवंटन इतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया
(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विषयन अधिकारी, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृष्या उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० विभाग / जन रवा० अभि० विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० गैंधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गैंधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त करने का श्रम करें।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)
अनुभागाधिकारी